अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामेश्वर दत्तक पुत्र घासी बनाम घासी पुत्र गुंल्ला वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राज0 काश्त0 अधि0 प्रकरण संख्या 280 / 2022

अपील आंशिक स्वीकार/रिमाण्ड
23/09/2022

श्री मुकेश चौधरी एड़वोकेट श्री बलवन्त सिंह चौधरीएड़–6

	रामेश्वर बनाम घासी वगैरह (2022 / 280)
23-09-2022	यह अपील श्री मुकेश चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 09.09.2022, प्रकरण संख्या 89 / 2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। स्थगन प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से श्री बलवन्त सिंह चौधरी केवियट प्रार्थना–पत्र पेश किया। अभिभाषक केवियटकर्ता को प्रार्थना–पत्र व अपील मीमो की प्रति दी गई। प्रार्थना–पत्र स्थगन का जवाब प्रस्तुत नहीं कर अभिभाषक केवियटकर्ता बहस करना चाहते है। प्रार्थना–पत्र स्थगन पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।
	अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / अपीलांट के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वाकै ग्राम सुनाड़िया तहसील दूदू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 3.7900 है0 है जो अप्रार्थी संख्या 2 से 05 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हो गई गलत है जबकि उसमें प्रार्थी 1 / 3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1 / 3 हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। सिजरे अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 घासी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने की वजह से घासी ने प्रार्थी रामेश्वर को बचपन में ही गोद ले लिया था एवं अपने पिता घासी की सेवा सुश्रषा की एवं उक्त आराजीयात पर भी काबिज काश्त रहा प्रार्थी रामेश्वर की सेवा से प्रसन्नल होकर घासी ने बचपन में ही गोद लिया था एव दिनांक 13.04.2012 को उप–पंजीयक, सांगानेर प्रथम के यहॉ पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 38 पुष्ठ संख्या 42 क्रम संख्या 201206700124 पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 98 के पृष्ठ संख्या 206 से 209 पर दिनांक 13.04.2012 पर चस्पा किया गया है। बगरूखुर्द में स्थिति भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 घासी ने विक्रय की थी एवं उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से संयुक्त परिवार में रहते हुए उक्त ग्राम सुनाड़िया की आराजीयात अप्रार्थी संख्या 01 ने संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी जो ग्राम बगरूखुर्द में स्थित थी उसको बेचकर उससे प्राप्त आय से क्रय की गयी है इसलिए विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूशी मुश्तर्का आराजीयात रही है तथा पक्षकारान भी एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूशी मुश्तर्का आराजीयात रही है इसलिए विवादित आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1 / 3–1 / 3 हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है। अप्रार्थी संख्या 01 जो कि प्रार्थी दत्तक पिता है जो गलत संगत में है जिनको दीगर व्यक्तियों ने बहला फुसला दिया जिससे उन्होने विवादित आराजीयात को औने–पौने दामों में ही अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 06 को बैचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 आये एवं कहां कि उक्त आराजीयात उन्होने अप्रार्थी संख्या 01 से क्रय कर ली है तथा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी करवा लिया है अब शीघ्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ही विवादित आराजीयात से प्रार्थी को उसे कब्जेकाश्त से बेदखल किया जावेगा जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह प्रार्थना–पत्र संख्या 01 लगायत 3 व 06 पेश किया जाना आवश्ययक हुआ। उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया तत्पश्चात प्रकरण में सुनवाई करते हुए तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 09.09.2022 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आर्डर नॉन स्पीकिंग आर्डर है जो आदेश की परिभाषक में नही आता है, चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.09.2022 में अपीलांट की प्रार्थना अस्वीकार करने के कोई कारण अंकित नही किये गये है तथा न्याय का तकाजा है कि विवादित आराजी का संरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वाद बाहुल्यता नही बढ़े, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2022 की क्रियान्विति स्थगित फरमायी जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को दौराने अपील जरिये स्थगन आदेश से पाबंद फरमाया जावें कि अपीलांट के हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखंजदाजी उत्पन्न न स्वयं करे न अन्य से करावें तथा न कब्जेकाश्त से बेदखल करें तथा विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक केवियटकर्ता ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना –पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजी ग्राम सुनाड़िया में स्थित है तथा वर्णित विवादित भूमि स्वअर्जित क्रयशुदा सम्पत्ति थी। जिसका प्राप्त खातदोरो के तहत् उचित प्रतिफल प्राप्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर ही बेचान किया है। उक्त भॅमि पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 एक मात्र खातेदार काश्तकार होने से अपने खातेदारी अधिकारों के तहत् बैचान किया है जो विधि सम्मत है।उक्त बैचान के आधार पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा अप्रार्थी संख्या 3 लगायात 6 के पिता/पति के हक में खातेदारी दर्ज की गई है। विधि के साभुत सिद्धान्तों के अनुरूप विक्रय–पत्र प्रभाव में रहते घोषणा खातेदारी राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप घोषणा खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण में धारा 9 जा.दी. के प्रावधानों अनुरूप ही वाद का विचारण किया जा सकता है। इस प्रकार राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से वाद विचारण योग्य नही है। प्रार्थी की आयु 50 वर्ष है कानूनन 15 वर्ष से अधिक व्यक्ति के हक में गोदनामा पंजीबद्ध नहीं हो सकता तथा जैविक माता–पिता व दत्त माता–पिता की सहमति अनिवार्य है, जबकि हस्तगत गोदनामें में दोनो पक्षों की कोई सहमति नही है। उक्त गोदनामा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से शुन्य है। शुन्य दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी का वाद मेन्टेवल नही है तथा प्रथम दृष्टया ही वाद काबिले निरस्त योग्य है। प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस

तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.09.2022 विधि सम्मत है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में यदि विवादित आराजी को रहबन, बय व मुन्तकिर कर या अन्य प्रकार से स्वरूप को अथवा राजस्व रिकार्ड को बदल दिया जाता है तो विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता बढ़े व प्रार्थी/अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.11.2020 को विवादित आराजी बाबत् अन्तरिम स्थगन दिये गये थे तथा दिनांक 09.09.2022 को उक्त अन्तरिम स्थगन खारिज करने के आदेश दिये है। जब एक बार विवादित आराजी बाबत् स्थगन दे दिया गया और फिर उक्त स्थगन आदेश को खारिज करना विधि सम्मत नही है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चुँकि प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा किया जाना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 89/2020 बउनवान रामेश्वर बनाम घासी वगैरह में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष दिनांक 6.10.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर